न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2020 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
GCMS NO : 2020/00014

अनवान

1. श्री रतना पिता भेरा मीणा, निवासी–चौराई, तहसील–ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्री धन्ना पिता भेरा मीणा, निवासी–चौराई, तहसील–ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री दिनेश पिता हकरा मीणा, निवासी–चौराई, तहसील–ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती नर्बदा पत्नी दिनेश मीणा, निवासी–चौराई, तहसील–ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला–उदयपुर।

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री रमेश नंदवाना, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री भगवतसिंह शक्तावत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* *निर्णय* *

दिनांक 12-08-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा चौराई, तहसील ऋषभदेव मे आराजी संख्या 2826/2019 रकबा 0.2100 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के दो अन्य भाई हकरा पिता भेरा एवं खेमा पिता भेरा का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा हैं। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे बिलानाम दर्ज चली आ रही थी। प्रार्थीगण सहित चारो भाईयों ने अपने अपने हिस्से का बंटवाड़ा दिनांक 20.07.2007 को कर लिया था एवं अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर भूमि का उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे थे। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने हल्का पटवारी से मिलीभगत कर प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के दौरान भूमि अपने नाम दिनांक 20.02.2013 को आवंटित करवा ली। इस आवंटन की प्रार्थीगण को किसी तरह की कोई सूचना भी नही दी गई। आवंटन मे नियम 4 व 5 की पालना नही की गई है। आवंटन से पूर्व ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार किये बिना, उद्घोषणा जारी किये बिना एवं आवंटन की पात्रता की जाच [illegible]र ही विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का आवंटन किया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक [illegible].02.2013 को कथित भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया गया है एवं उसी दिवस को पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.08.19 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

की गई है एवं उसी दिनांक को आवंटन किया गया है। विपक्षीगण द्वारा मिसरिप्रजेन्टेशन करके तथा पटवारी हल्का द्वारा सही तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नही करने के कारण भूमि विपक्षीगण को आवंटित हो गई है, उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में आराजी नंबर 2019 रकबा 0.2100 हेक्टेयर का किया गया आवंटन दिनांक 20.02.2013 को खारिज किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री भगवतसिंह अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षीगण का आवंटित भूमि पर पुराना कब्जा होने से विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन किया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किये गये आंवटन की जानकारी प्रार्थीगण को प्रांरभ से ही है। प्रार्थीगण द्वारा मनगढ़न्त तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने पुश्तैनी कब्जे की बिलानाम भूमि के आराजी संख्या 2826/2019 अंकित किये हैं, जबकि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन आराजी संख्या 2019 रकबा 0.2100 हेक्टेयर का हुआ है, जिससे यह प्रकट होता है कि प्रार्थीगण का विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि से कोई संबध सरोकार नही रहा हैं। विपक्षी संख्या 1 को तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा धारा 91 के नोटिस वर्ष 2009, 2010, 2011 जारी किये गये है। यदि प्रार्थीगण का कथित आराजी पर पुराना कब्जा होता तो वह अवश्य ही आवंटन हेतु आवेदन करते। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य कही पर भी उल्लेखित नही किया गया है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 ने आवंटन हेतु क्या मिसरिप्रजेन्टेशन किया। विपक्षी संख्या 1 व 2 ग्राम चौराई के निवासी है तथा चौराई गांव का पंचायत मुख्यालय बिछीवाड़ा है। ऐसी स्थिति मे पंचायत मुख्यालय पर ही केम्प लगा कर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की गई है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 के काका लगते है एवं द्वेषतावश झूठे तथ्य अंकित कर उनके द्वारा कथित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो सव्यय खारिज किया जावे। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव से आवंटन पत्रावली संख्या 04/2013 तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रकरण मे लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये कथित भूमि पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना, मौके पर बटवांड़ा होना, उद्घोषणा जारी न होना, आवंटन से पूर्व ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, समस्त कार्यवाही एक ही दिवस में होना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस मे समय लेते हुए मामले में लिखित बहस पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, प्रार्थीगण का संबध अन्य आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.08.19 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

से होना, विपक्षी संख्या 1 व 2 के पास धारा 91 के नोटिस वर्ष 2009, 2010 व 2011 की प्रतियां उपलब्ध होना, आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का केलुपोश मकान बना होना, आवंटन में पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य बनाम शंकर लाल व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 07.05.2018 मे यह प्रतिपादित किया है कि आवंटन के 3 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकारों का प्रदत किये जाने की उपधारण की गई है एवं खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- आर.आर.टी. 2018(2) पृष्ठ 1007 (एच.सी.)

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 व 2 के जवाब, लिखित बहस, आवंटन पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव से प्राप्त आवंटन पत्रावली संख्या 04/2013 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा मौजा चौराई, तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 2019 रकबा 0.2100 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया है। आवंटन पत्रावली में कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन के उपरान्त दिनांक 20.02.2013 को कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट मे आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवाद रहित होना एवं आवंटी का कब्जा होना दर्शाया गया हैं। आवंटन पत्रावली मे विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी धारा 91, भू. राजस्व अधिनियम, 1956 का नोटिस वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 उपलब्ध है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवंटन से पूर्व विवादित आराजीयात पर विपक्षीगण का कब्जा था। उक्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं भूमिधारक तहसीलदार की ओर से काई आपत्ति/आवंटन निरस्त करने हेतु कोई प्रार्थना नही की है। आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये, ऐसा कोई साक्ष्य नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी राजस्व रेकर्ड इत्यादि सलंग्न किया है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 व 2 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर नोटिस आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू. राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.08.19 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

असफल रहे हैं। जहां तक प्रकरण मे आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न होने व वर्तमान मे विपक्षी संख्या 1 व 2 के गैर खातेदार होने का प्रश्न है, इस सबंध मे जांच करने का दायित्व तहसीलदार का है। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन उपरान्त कथित आवंटन मे कोई त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित न होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा चौराई, तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 2019 रकबा 0.2100 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है तथा मामले मे तहसीदार ऋषभदेव को निर्देश दिये जाते है कि वह आवंटीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने अथवा न करने के सबंध मे राजस्व अभिलेख व मौका अनुसार जांच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.08.19 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested